विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 866 दिनांक : 29/7/17

प्रति,

प्राचार्य,
प्रशांति इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
ग्राम–गंगेडी,पोस्ट–लेकोड़ा, सांवेर रोड,
उज्जैन(म.प्र.)।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक / 17,दिनांक 11.04.2016

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि,प्रशांति इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,उज्जैन,में सत्र 2016–17,में एम.बी.ए.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 में एम.बी.ए.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.बी.ए.	120

शर्ते :–01. नवीन संस्करण (New Editions) की पुस्तकें प्रत्येक विषय हेतु 40–40(चालीस–चालीस) की संख्या में क्रय कर पुस्तकालय में रखे जाये।
02. पुस्तकालय में छात्रों को बैठने हेतु उचित व्यवस्था हेतु और फर्नीचर क्रय किये जाये।
03. छात्रों को खेलने हेतु खेल सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराये जाये।
04. केम्पस में एवं भवन में हरियाली की व्यवस्था की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02